परिशिष्ट 'इकसठ' [13/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 3052]

कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

परिशिष्ट–क

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3052,

शराब ठेकेदारों/व्यक्तियों के नाम की सूची, जिनके विरूद्ध पुलिस थाना रावजी बाजार, इंदौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है :–

क्र	शराब ठेकेदारों/व्यक्तियों के नाम
1	श्री अविनाशसिंह पिता डोंगरसिंह मंडलोई निवासी 149, विद्यानगर, इन्दौर
2	श्री राहुल पिता सुरेन्द्र कुमार चौकसे, निवासी ए–296, तुलसी नगर, इन्दौर (म.प्र.)
3	श्री गोपाल शिवहरे, डायरेक्टर मेसर्स भारती देव बिल्ड प्रा.लि., सी.–21, बसंत विहार कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे, जिला इन्दौर (म.प्र.)
4	श्री लवकुश पिता रमाशंकर पाण्डे, निवासी 23, शक्ति नगर, इंदौर (म.प्र.)
5	श्री प्रदीप पिता रामलाल जायसवाल, निवासी 1623, सुदामा नगर, सेक्टर–डी., इन्दौर
6	श्री सूर्य प्रकाश अरोरा पिता श्री गुरूचरण अरोरा, डायरेक्टर मेसर्स मिलियन ट्रेडर्स भोपाल प्रा.लि.,पता जी.–2 119, गुलमोहर कॉलोनी, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.)
7	श्री राकेश पिता उच्छवलाल जायसवाल, निवासी 504, श्रीकृष्ण सोलिटियर पार्क, फुटी कोठी, इंदौर (म.प्र.)
8	श्री योगेन्द्र पिता हुकुमचंद जायसवाल, निवासी डब्ल्यू.ए.–21, स्कीम नं.–94, इंदौर (म.प्र.)
9	श्री विजय कुमार पिता कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, निवासी फ्लेट नं.–101, प्लॉट नं.–3/1, सन एनक्लेव, मनोरमागंज, इन्दौर
10	श्री असप्रीतसिंह पिता शैलेन्द्रसिह लुवाना, निवासी 40, ज्ञानश्री अपार्टमेन्ट, विष्णुपुरी मेन, इन्दौर
11	श्री जितेन्द्र पिता प्रकाश शिवरामें, निवासी सी.एल.–81, सुखलिया, जिला इंदौर (म.प्र.)
12	श्री दीपक पिता राजेन्द्र जायसवाल, निवासी 2146–डी, सुदामा नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.)
13	श्री अभिषेक पिता ललीत शर्मा, निवासी 101, चौधरी कॉलोनी, मंदसौर
14	श्री बलराम पिता बग्दीराम माली, निवासी टिलाखेड़ा, पिपलिया मण्डी, मंदसौर
15	अंश उर्फ चीनू पिता स्व. अनिल त्रिवेदी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ए–2, एल.आई.जी., जनता कालोनी, मन्दसौर, हाल मुकाम बेदला रोड़ प्रियदर्शनी नगर उदयपुर राजस्थान
16	राजू दशवंत पिता रमेश दशवंत निवासी 77 आदर्श नगर, इंदौर व 275 नि सी डब्ल्यू 275 शालिमार बंगलो, सुखलिया इंदौर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

परिशिष्ट–ब

प्रश्नानुसार इंदौर जिले में शराब ठेकेदारों द्वारा कूटरचित चालानों के माध्यम से शासन के राजस्व को हानि पहुंचाने वाले मामले में शासन स्तर से निलंबित एवं बहाल किये गये आबकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम
1	श्री संजीव कुमार दुबे	सहायक आयुक्त आबकारी
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसौदिया	सहायक जिला आबकारी अधिकारी
3	श्री सुखनंदन पाठक	सहायक जिला आबकारी अधिकारी
4	श्रीमती कौशल्या साबवानी	आबकारी उपनिरीक्षक
5	श्री धनराज सिंह परमार	मुख्य लिपिक
6	श्री अनमोल गुप्ता	सहायक ग्रेड–3

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - तीन

कार्यालय पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला इंदौर

रानीसराय परिसर, रीगल स्क्वेअर, इंदौर मध्य प्रदेश
E-Mail- vscell.dpoind@gmail.com Ph.No. 0731-2510311

क्रमांक/पुअ/ई/मु/वि.स.सेल/बजट.सत्र/37/2018 दिनांक:- 24/02/2018

प्रति,

सहायक आयुक्त आबकारी,
जिला इंदौर

विषय :- विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3052 शराब घोटाले पर कार्यवाही।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आब./मु.लि./2018/1015 इंदौर दिनांक 22.02.2018 के पालन में।

कृपया उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3052 के संबंध में बिंदुवार वांछित प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क/ इंदौर जिले में शराब घोटाले के संबंध में थाना रावजीबाजार पर दिनांक 11.08.2017 को अपराध क्रमांक 172/17 धारा 420 437 468 471 406 34 120बी 212 भादवि का प्रकरण पंजीबध्द किया गया प्रकरण में फरियादी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव प्रसाद द्विवेदी की रिर्पोट पर लाससेंसियो आरोपी 1 अविनाश मंडलोई , 2 योगेन्द्र जायसवाल, 3 विजय श्रीवास्तव, 4 राकेश जायसवाल, 5 राहूल चौकसे, 6 सुर्यप्रकाश अरोरा, 7 गोपाल शिवहरे, 8 प्रदीप जायसवाल, 9 लवकुश पांडे, 10 जिनेन्द्र शिवरामे, 11 अशप्रीतसिंह लुवाना, 12 दीपक जायसवाल, 13 राजू दशवंत, 14 अंश त्रिवेदी, के द्वारा शासकीय चालानों में हेराफेरी व कूटरचना कर राशि बढाकर आबकारी विभाग को 41 करोड 73 लाख 73 हजार 670 रूपये (41.73.73. 670रूपये) की राजस्व हानि पहुचाई जिस पर उक्त प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में जिला आबकारी विभाग द्वारा लायसेंसी आरोपी बलराम पिता बगदीराम माली , एवं अभिषेक शर्मा पिता ललित शर्मा के द्वारा भी कूटरचना कर राजस्व हानि पहुचाई उक्त दोनो आरोपीयों को सदर अपराध में लिया जाकर विवेचना की गई ।

ख/ प्रश्न दिनांक तक पुलिस रावजीबाजार द्वारा उक्त प्रकरण में कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमे से 10 शराब ठेकेदार तथा दो मुख्य सहयोगी व अन्य 10 आरोपी जिनके द्वारा फरार आरोपियों को संश्रय दिया गया व धोखाधडी में संलिप्त थे। उक्त गिरफ्तार शुदा आरोपियों के विरूध्द विवेचना की जाकर साक्ष्य एकत्रित कर दिनांक 09.01.2018 को चालान क्र02/18 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तथा वर्तमान में भी उक्त गिरफ्तार शुदा 22 आरोपियों सहित अन्य फरार आरोपियों के विरूध्द धारा 173(8) जा0फौ0 के अंतर्गत विवेचना जारी है।

ग/ प्रकरण में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज होने के समय कुल 14 आरोपी नामजद फरियादी द्वारा बताये गये थे जिनके विरूध्द उक्त अपराध पंजीबध्द किया गया था। पश्चात पुनः फरियादी पक्ष द्वारा आरोपी बलराम माली व अभिषेक शर्मा के द्वारा भी छल पूर्वक अपने को प्राप्त शराब दुकानो की ड्यूटी फीस चालानों में कूटरचना के माध्यम से नही भरी गयी । जिससे शासकीय राजस्व को हानि पहुचाने से आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में चार आरोपी शराब ठेकेदार, 1. विजय श्रीवास्तव, 2. राहूल चौकसे, 3 जितेन्द्र शिवरामे, 4 अभिषेक शर्मा, की गिरफ्तारी की जाना शेष है। जिनकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। उक्त आरोपीयों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय शहर, इंदौर द्वारा 20.000-20.000 रूपये का ईनाम भी उद्घोषित किया गया है।

घ/ इस कार्यालय से संबंधित नही ।

ड/ शासन से संबंधित ।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रेषित है।

हेतु-पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय)
जिला इंदौर म0प्र0

प्रतिलिपी :-

1. अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन इन्दौर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

हेतु-पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय)
जिला इंदौर म0प्र0

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल